



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श०)

(सं० पटना 883) पटना, वृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

अधिसूचना सं०-२५ / 2017—राज्य कर (दर)

एस०ओ० 185,, दिनांक 21 सितम्बर—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप—धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा बिहार गजट में एस०ओ० 87 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 12 / 2017—राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; यथा—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं”

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध-20/2017-25)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 186, एस०ओ० 185, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध-20 / 2017-25)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

Notification No. 25/2017- State Tax (Rate)

S.O. 185, dated the 21st September 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in Bihar gazette vide S.O No. 87 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 World Cup 2017.	Nil	Nil”.

2. This notification shall come into force with effect from 21st September, 2017
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017—25)]

By the order of Governor of Bihar,
Sujata Chaturvedi,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
बिहार गजट (असाधारण) 883-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>